न्यायालय जिला कलक्टर एवं मजिस्ट्रेट, श्रीगंगानगर

अपील रसद प्रकरण संख्या 10/2020 (GCMS 2020/00194)

साहब राम पुत्र श्री मुखराम, प्राधिकृत उचित मूल्य दुकानदार, पोस मशीन संख्या 9319, ग्राम पंचायत 11 ई ई ए, तहसील पदमपुर जिला श्रीगंगानगर (मृतक)
1/1 खेतुरानी पत्नी स्व. श्री साहबराम जाति जाट साकिन वही, ई ई ए, तहसील पदमपुर

बनाम

स्टेट ऑफ राजस्थान जरिये जिला रसद अधिकारी, श्रीगंगानगर

सत्यमेव जयते
Web Copy - Not Official

13.08.2023

पत्रावली पेश हुई। अपीलार्थी के अधिवक्ता श्री अरविन्द्र जाखड़ एवं विभागीय प्रतिनिधि श्रीमती पूजा अग्रवाल, प्रवर्तन निरीक्षक उपस्थित हुए। उभयपक्ष की बहस सुनी गई। पत्रावली का अवलोकन किया गया।

संक्षिप्त तथ्य इस प्रकार है कि :

तत्कालीन प्रवर्तन अधिकारी, पदमपुर श्री संदीप गौड़ द्वारा दिनांक 25.04.2020 को प्राधिकृत उचित मूल्य दुकान पोस मशीन संख्या 9319, ग्राम पंचायत 11 ई ई ए, तहसील पदमपुर जिला श्रीगंगानगर का निरीक्षण किया गया। निरीक्षण के दौरान उचित मूल्य दुकानदार, साहबराम मुखराम स्वयं द्वारा राशन वितरण का कार्य नहीं करना, राशन कम तौल कर देना, उपभोक्ताओं से दुरर्व्यवहार करना एवं उपभोक्ताओं को 5–10 किलो गेहूं कम देकर सालासार भंडारा के लिए 4.50 क्विंटल गेहूं इकट्ठा करना, स्टॉक में केरोसीन होने पर भी उपभोक्ताओं को केरोसीन देने से इन्कार करना आदि अनियमितता पाये जाने के कारण जिला रसद अधिकारी, श्रीगंगानगर ने अपने आदेश दिनांक 27.08.2020 से उचित मूल्य दुकानदार, साहबराम पुत्र मुखराम ग्राम पंचायत 11 ईईए, तहसील पदमपुर जिला श्रीगंगानगर को जारी प्राधिकार पत्र संख्या 532/2001 को रद्द कर, प्राधिकार पत्र की निक्षेप प्रतिभूति राशि का समपहरण करने के आदेश दिये गये थे, जिसके विरूद्ध अपीलार्थी ने हस्तगत अपील पेश की है।

Signature Not Verified
Digitally signed by Manju
Date: 2025.10.14 17:29:08 IST
Reason: SelfAttested

अपीलार्थी के विद्वान अधिवक्ता ने अपनी बहस में बताया है कि किशनाराम पुत्र श्री दुर्गाराम, अपीलार्थी की मदद के लिए कई बार अपीलार्थी उचित मूल्य दुकान पर बैठ जाता है, लेकिन गांव में राजनैतिक पार्टीबाजी होने के कारण अपीलार्थी के विरूद्ध किशनाराम को लेकर मिथ्या शिकायतें प्रस्तुत की गई,

जिला कलक्टर
श्रीगंगानगर

जबकि किशनराम गांव में मंदिर का पुजारी है, उसका उचित मूल्य की दुकान से कोई सरोकार नही है। उचित मूल्य की दुकान का संचालन स्वयं अपीलार्थी करता था, इसलिए निरीक्षण के समय अन्य व्यक्ति द्वारा राशन वितरण का कार्य अन्य व्यक्ति द्वारा किये जाने के कथन उचित नहीं है, इसलिए अपीलार्थी की अपील स्वीकार करने योग्य है।

उनका आगे यह भी कथन है कि अपीलार्थी के विरूद्ध उपभोक्ताओं को राशन प्रमाणित नाप तोल के उपकरणों के आधार पर दिया गया और यदि कम तोल की शिकायत है, तो उसके लिए अपीलार्थी की दुकान पर उपलब्ध नाप–तोल उपकरणों की जांच करवाई जा सकती है, जो नहीं करवाई गई है।

उनका आगे यह भी कथन है कि उचित मूल्य दुकान पर किसी भी उपभोक्ता को वितरण के समय सालासर धाम के भण्डारा के निमित 5–10 किलो गेहूं कम नहीं दिया गया, बल्कि जिस उपभोक्ता का जितना गेहूं बनता था, उसको उतना दिया गया है और पोस मशीन के माध्यम से दिया गया। यदि किसी उपभोक्ता को आपत्ति होती तो वह वितरण के समय गेहूं लेने से इन्कार करने के साथ शिकायत भी कर सकता था। लेकिन ऐसा कोई दृष्टान्त जांच के समय नहीं आया है।

उनका आगे यह भी कथन है कि किसी भी उपभोक्ता को स्टॉक में केरोसीन होने पर केरोसीन देने से इन्कार नही किया गया और न ही अपीलार्थी अथवा किशन राम के द्वारा किसी भी उपभोक्ता के साथ कभी भी दुर्व्यवहार किया गया। अपीलार्थी की उचित मूल्य दुकान का अनुज्ञापत्र निरस्त किये जाने के सम्बन्ध में जो आधार लिये गये है, वे मिथ्या व आधारहीन है। इसलिए अपीलार्थी का अनुज्ञा पत्र खेतुरानी पत्नी स्व. श्री साहबराम के नाम से जारी करने की प्रार्थना है।

इसके विपरीत विभागीय प्रतिनिधि ने अपनी बहस में कथन किया है कि निरीक्षण के समय उचित मूल्य दुकानदार साहबराम पुत्र मुखराम स्वयं राशन वितरण का कार्य करते नहीं पाया गया। निरीक्षण के समय उचित मूल्य दुकान पर किशनराम पुत्र दुर्गाराम द्वारा राशन वितरण का कार्य किया जा रहा था।

उनका आगे यह भी कथन है कि निरीक्षण के समय किशनलाल द्वारा उपभोक्ताओं को राशन कम तोल कर देने की शिकायतें प्राप्त हुई थी तथा किशन लाल उपभोक्ताओं से दुर्व्यवहार करता है तथा किसी भी बात पर एतराज करने पर

Signature Not Verified
Digitally signed by Manju
Date: 2025.10.14 17:29:03 IST
Reason: SelfAttested

जिला कलक्टर
श्रीगंगानगर

लड़ता था, इसलिए अपीलार्थी का उचित मूल्य दुकान का प्राधिकार पत्र निरस्त किया गया है।

उनका आगे यह भी कथन है कि किशनलाल द्वारा सभी उपभोक्ताओं से 5–10 किलो गेहूं कम देकर सालासर भण्डारा के लिये 4 क्विं. 50 किग्रा गेहूँ इकट्ठा किया तथा उपभोक्ताओं द्वारा सालासर भण्डारा के लिए किशनलाल द्वारा इकट्ठा किया तथा निरीक्षण के समय उपस्थित उपभोक्ताओं द्वारा सालासर भण्डारा के लिए किशनलाल द्वारा इकट्ठा किये गये गेहूं का जबरदस्ती लोगों के गेहूं में से कम कर देना बताया गया।

उनका आगे यह भी कथन है कि किशनलाल द्वारा स्टॉक में केरोसीन होने पर भी उपभोक्ताओं को केरोसीन देने से इंकार किया गया है। इसलिए उचित मूल्य दुकानदार का प्राधिकार पत्र सही निरस्त किया गया है, इसलिए साहबराम के निरस्त किये गये प्राधिकृत पत्र को उसकी पत्नी खेतुरानी के नाम से बहाल न करने की प्रार्थना की है।

मैनें उक्त तर्कों पर मनन किया और पत्रावली का अवलोकन किया तो पाया कि कि अपीलार्थी उचित मूल्य दुकान साहबराम पुत्र मुखराम ग्राम पंचायत 11 ई ई ए, पदमपुर जिला श्रीगंगानगर पोस मशीन संख्या 9319 का प्राधिकृत उचित मूल्य दुकानदार था। अन्तर्राष्ट्रीय आपदा कोविड–19 के मध्यनजर उपभोक्ताओं के हित को ध्यान में रखते हुए राशन वितरण में अनियमितता की शिकायत पर, तत्कालीन प्रवर्तन अधिकारी, पदमपुर श्री संदीप गौड़ द्वारा दिनांक 25.04.2020 को उक्त दुकान का निरीक्षण किया गया तथा निरीक्षण में अनियमितता पाये जाने के कारण जिला रसद अधिकारी, श्रीगंगानगर के द्वारा अपने विभागीय प्रकरण संख्या 93/2020 आदेश दिनांक 27 अगस्त 2020 से उचित मूल्य दुकानदार, साहबराम पुत्र मुखराम, ग्राम पंचायत 11 ई ई ए तहसील पदमपुर जिला श्रीगंगानगर को जारी प्राधिकार पत्र संख्या 532/2001 को तुरन्त प्रभाव से रद्द किया गया था तथा इनके प्राधिकार पत्र की निक्षेप प्रतिभूति राशि का समपहरण करने के आदेश दिये गये थे।

Signature Not Verified
Digitally signed by Manju
Date: 2025.10.14 17:29:03 IST
Reason: SelfAttested

जिला रसद अधिकारी, श्रीगंगानगर के आदेश दिनांक 27.08.2020 के विरूद्ध अपीलार्थी ने यह अपील पेश की है। अपीलार्थी साहबराम की दिनांक 29.07.2021 को मृत्यु हो जाने के पश्चात, खेतुरानी पत्नी स्व. श्री साहबराम ने जरिये अधिवक्ता पक्षकार बनने का प्रार्थना पत्र आदेश 22 नियम 3 पेश किया, जो इस न्यायालय द्वारा दिनांक 02.06.2022 को स्वीकार किया गया तथा तथा खेतुरानी को

जिला कलक्टर
श्रीगंगानगर

इस शर्त पर पक्षकार बनाया गया था कि प्रकरण में साहबराम के विरूद्ध यदि कोई निर्णय पारित किया जाता है तो उसकी समस्त जिम्मेदीर प्रार्थिया खेतुरानी पत्नी स्व. श्री साहबराम की होगी।

अधीनस्थ न्यायालय की पत्रावली में उपलब्ध दस्तावेजों का अवलोकन किया गया तो पाया कि विभागीय प्रतिनिधि द्वारा निरीक्षण के दौरान **उचित मूल्य दुकानदार साहबराम पुत्र मुखराम राशन वितरण का कार्य नहीं करता है, के अतिरिक्त अन्य समस्त शिकायते किशनलाल के विरूद्ध की गई है जो की प्रकरण में पक्षकार नहीं है और न ही वह प्राधिकृत उचित मूल्य दुकानदार है** तथा विभागीय प्रतिनिधि ऐसा कोई दस्तावेज पेश नहीं किया है जो यह साबित करता हो कि उचित मूल्य दुकानदार साहबराम पुत्र मुखराम स्वयं राशन वितरण का कार्य नहीं करता है और शेष समस्त अरोप अपीलार्थी साहबराम पुत्र मुखराम पर नहीं लगाये गये है।

राजस्थान खाद्यान्न एवं अन्य आवश्यक पदार्थ (वितरण का विनियमन) आदेश, 1976 के तहत जारी प्राधिकार पत्र में निबंधन एवं शर्ते अंकित है, जो निम्नानुसार अवलोकनीय है:

1. कोई भी प्राधिकार धारक कलक्टर की लिखित में पूर्व अनुमति के बिना इस प्राधिकार में विनिर्दिष्ट स्थानों के अतिरिक्त किसी भी अन्य स्थान पर खाद्यान्नों एवं अन्य आवश्यक वस्तुओं का भंडारकरण नहीं करेगा।
2. कोई भी प्राधिकार धारक कारोबार के समय के दौरान उसे विधि मान्य अनुज्ञापत्र, मांगपत्र, राशनकार्ड प्रस्तुत करने पर अनुज्ञापत्र, मांगपत्र, राशनकार्ड पर खाद्यान्नों या अन्य आवश्यक पदार्थों पर की बकाया सीमा तक खाद्यान्न एवं अन्य आवश्यक पदार्थ का विक्रय करने से इंकार नहीं करेगा।
3. कोई भी प्राधिकार धारक खाद्यान्नों का विक्रय उस कीमत से अधिक कीमत पर नहीं करेगा जो राज्य सरकार या कलक्टर द्वारा नियत की गयी है या किन्ही भी अन्य आवश्यक पदार्थों का विक्रय उस कीमत से अधिक कीमत पर नहीं करेगा जो केन्द्र सरकार या राज्य सरकार या ऐसी सरकार के किसी भी प्राधिकारी या अधिकारी या विनिर्मिति या विक्रेता द्वारा इस निमित्त नियत की जाये।
4. कोई भी प्राधिकार धारक खाद्यान्नों एवं अन्य आवश्यक वस्तुओं के समरूप किन्हीं दो वस्तुओं का विक्रय के लिए स्टॉक का धारण राज्य सरकार या कलक्टर की अनुमति के सिवाय नहीं करेगा।

Signature Not Verified
Digitally signed by Manju
Date: 2025.10.14 17:29:03 IST
Reason: SelfAttested

जिला कलक्टर
श्रीगंगानगर

5. प्राधिकार पत्र धारक प्रारूप (सी) में एक स्टॉक रजिस्टर रखेगा जिसमें प्रत्येक खाद्यान्न एवं आवश्यक वस्तुओं की प्रतिदिन होने वाली प्राप्ति व विक्रय को सही–सही रूप में दिखाया जायेगा। अधिकृत थोक विक्रेता द्वारा प्रारूप (डी) में व प्राधिकृत उचित कीमत दुकानदार द्वारा प्रारूप (ई) में भी एक दैनिक विक्रय रजिस्टर रखा जायेगा। अनुज्ञप्तियों, वाउचर आदि लेखे संबंधी समस्त पुस्तकें प्राधिकार में विनिर्दिष्ट कारोबार स्थान पर रखी जायेंगी व आवश्यकता पडने पर उन्हें निरीक्षण के लिए उपलब्ध करवाना होगा।
6. प्रत्येक प्राधिकार धारक प्रारूप (एफ) में स्टॉक व विक्रय की सही मासिक विवरणी कलक्टर को प्रतिमाह भेजेगा जो जिस माह से वह सम्बन्धित है उसके समाप्त होने के पश्चात पॉच दिन के भीतर उनके पास पहुंच जाये।
7. प्रत्येक प्राधिकार धारक अपने कारोबार संबंधी ऐसी कोई सूचना जो कलक्टर उससे मांगे, सही–सही रूप में प्रस्तुत करेगा।
8. प्राधिकार धारक खाद्यान्नों की प्रत्येक किस्म व अन्य आवश्यक वस्तुओं का प्रारम्भिक स्टॉक, अधिशेष स्टॉक व कीमत अपने कारोबार परिसर के किसी सहज दृश्य स्थान पर मोटे अक्षरों में प्रदर्शित करेगा।
9. प्रत्येक प्राधिकार धारक कलक्टर द्वारा नियत कारोबार के घण्टों का कडाई से पालन करेगा व अपनी दुकान, स्थान या कारोबार को ऐसे घण्टों के दौरान ठीक समय पर व नियमित रूप से खोलेगा।
10. प्रत्येक प्राधिकार धारक खाद्यान्नों व आवश्यक वस्तुओं के विक्रय, भण्डारकरण के लिए उपयोग में लाये जाने वाले किसी स्थान या परिसर में अपने धारक व लेखों के निरीक्षणार्थ युक्तियुक्त समय पर समस्त सुविधाएं मुहैया करायेगा।
11. प्राधिकार धारक राज्य सरकार या कलक्टर द्वारा जो उसे प्रदाय के समस्त कमीशन, भंडारकरण संचालन, मूल्य धारियों यथा खाद्यान्नों व अन्य आवश्यक वस्तुओं की प्राप्ति, विक्रय भण्डारकरण आदि संबंधित मामलों के संबंध में दिये जाने वाले निर्देशों या अनुदेशों की पालना करेगा।
12. प्राधिकार पत्र धारक खाद्यान्नों एवं अन्य आवश्यक वस्तुओं को अच्छी हालत में रखने का जिम्मेदार होगा व किसी अन्य घटिया किस्म के साथ [illegible] नहीं [illegible]
13. प्राधिकार पत्र धारक को किसी [illegible] आ[illegible] पर कतिपय परिमाण तक खाद्या[illegible] व आवश्यक [illegible] किया गया कोई आवंटन उसे वह अधिकार प्रदान नहीं करेगा कि वह ऐसी मात्रा में ऐसे आवंटन को चालू रख[illegible]का दावा कर सके व कलक्टर को यह अधिकार होगा कि वह स्वविवेक से, बिना कोई कारण बताये कोई आवंटन रद्द कर सके या उसमें

Signature Not Verified
Digitally signed by Manju
Date: 2025.10.14 17:29:03 IST
Reason: SelfAttested

जिला कलक्टर
श्रीगंगानगर

फेरफार कर सके तथा प्राधिकार पत्र धारक आवंटन रद्द करण या उसमें फेरफार के लिए किसी नुकसानी या प्रतिकर का दावा सरकार से करने का हकदार नहीं होगा।

प्राधिकृत उचित मूल्य दुकानदार के लिए विशेष शर्तें

14. प्राधिकृत उचित कीमत दुकानदार, सरकार द्वारा समय–समय पर प्रदाय किये गये खाद्यान्नों एवं अन्य आवश्यक वस्तुओं का विक्रय सीधे ही कलक्टर द्वारा जारी विशेष अनुज्ञापत्र धारक व्यक्तियों को तथा केवल उन उपभोक्ताओं को करेगा जिनके राशनकार्ड उसकी दुकान पर यूनिट रजिस्टर के प्रारूप (जी) में दर्ज कर लिये गये हों।

15. प्राधिकृत उचित कीमत दुकानदार राशनकार्ड धारक द्वारा खरीदे गये खाद्यान्नों एवं अन्य आवश्यक वस्तुओं की मात्रा को ऐसी खरीद की तारीख के साथ राशनकार्ड में निर्धारित स्थान पर अभिलिखित करेगा।

16. कोई भी प्राधिकृत उचित कीमत दुकानदार स्वयं के राशनकार्ड के अलावा किसी व्यक्ति का राशनकार्ड अपने कब्जे में नहीं रखेगा, उस समय के सिवाय जबकि राशनकार्ड खाद्यान्नों एवं अन्य आवश्यक वस्तुओं के सुविधापूर्वक वितरण के लिए किसी दिये गये समय पर दुकान पर वास्तव में उपस्थित व्यक्तियों से सम्यक रूप से एकत्रित किये जायें।

17. **कोई भी उचित कीमत दुकानदारः–**

क– किसी को भी जाली या अप्राधिकृत राशनकार्ड तैयार करने या प्राप्त करने में सहायक नहीं होगा या

ख– किसी भी जाली या अप्राधिकृत राशनकार्ड का उपयोग नहीं करेगा या उसे प्राप्त नहीं करेगा या

ग– अभिलेख में झूठी प्रविष्टियां करके कोई खाद्यान्न या आवश्यक वस्तुओं को नहीं उठायेगा या प्राप्त नहीं करेगा।

उक्त उल्लेखित निबंधन एवं शर्तों के अनुसार किसी भी शर्त का उल्लंघन नहीं होने के कारण एवं विभागीय प्रतिनिधि द्वारा अपीलार्थी के विरूद्ध कोई उचित मूल्य दुकानदार के विरूद्ध कोई अनियमितता साबित करने हेतु कोई साक्ष्य/दस्तावेज पेश नहीं किया गया है। **इसलिए उचित मूल्य दुकानदार साहबराम का प्राधिकार पत्र निलम्बित किया जाना उचित प्रतीत नहीं होता है। इसलिए जिला रसद अधिकारी, श्रीगंगानगर द्वारा दिनांक 27.08.2020 को जारी [illegible] [illegible]स्त कर, उचित मूल्य दुकानदार पोस मशीन 9319 का प्राधिकार पत्र बहाल [illegible] जाना उचित है।** चूंकि अपीलार्थी साहबराम की मृत्यु दिनांक 29.07.2021 को हो चुकी है और उसके स्थान पर खेतुरानी पत्नी स्व. साहबराम को पक्षकार बनाया गया था। इसलिए उक्त प्राधिकार पत्र खेतुरानी के नाम से बहाल किया जाना उचित प्रतीत होता है।

Signature Not Verified
Digitally signed by Manju
Date: 2025.10.14 17:29:03 IST
Reason: SelfAttested

जिला कलक्टर
श्रीगंगानगर

उक्त विवेचन के अनुसार अपीलार्थी की अपील स्वीकार की जाती है। पोस मशीन 9319 का अनुज्ञा पत्र बहाल किया जाता है एवं आदेशित किया जाता है कि उचित मूल्य दुकान का संचालन प्राधिकार पत्र में अंकित शर्तें की पालना करें एवं उपभोक्ताओं के साथ सौम्यता का व्यवहार रखें। जिला रसद अधिकारी, श्रीगंगानगर को आदेश दिया जाता है कि उक्त उचित मूल्य दुकानदार स्व. साहबराम का प्राधिकार पत्र खेतुरानी पत्नी स्व. साहबराम पोस मशीन संख्या 9319 के नाम से बहाल किया जाता है। जिला रसद अधिकारी को आदेशित किया जाता है कि खेतुरानी के नाम से उचित मूल्य दुकान का प्राधिकार पत्र जारी करने से पूर्व स्व. साहबराम के अन्य समस्त वारिसो से सम्बन्धित एवं समस्त अन्य आवश्यक कार्यवही पूर्ण कर ली जावे। स्व. साहबराम के विरूद्ध किसी अन्य अधिनियम के कोई प्रकरण विचाराधीन है तो सक्षम अथोरिटी/न्यायालय में नियमानुसार उसके विरूद्ध कार्यवाही करने के स्वतंत्र होगे। आदेश की प्रति मय उनके न्यायालय का मूल रिकॉर्ड जिला रसद अधिकारी, श्रीगंगानगर को पालनार्थ भिजवाया जावे। पत्रावली बाद तरतीब तक़मील दाख़िल दफ़्तर हो।

यह आदेश आज दिनांक 13.08.2025 को मेरे द्वारा लिखाया जाकर खुले न्यायालय में सुनाया गया।

(डॉ. मन्जू)
जिला कलक्टर
श्रीगंगानगर

Signature Not Verified

Digitally signed by Manju
Date: 2025.10.14 17:29:03 IST
Reason: SelfAttested